

भारत सरकार  
केन्द्रीय जल आयोग  
कार्यालय उपमण्डलीय अभियन्ता

पत्रांक: 5 / 16 / 2018 / सि० वे० / 58-56

दिनांक: 19.01.2019

मूल्य कथन आमन्त्रण सूचना

सिन्ध बेतवा उपमंडल, झाँसी के अधीनस्थ गेज एवं निस्सारण स्थल, गरौली में पानी की समस्या को दूर करने हेतु स्थल गरौली के कैम्पस के बाहर स्थित कुएं से पानी निकालने के लिए एक मोटर पम्प एवं सम्पूर्ण फिटिंग की आपूर्ति हेतु मूल्य-कथन आमन्त्रित किये जाते हैं। ये मूल्य कथन अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 25.01.2019 के 12.00 बजे तक पहुँच जाने चाहिए एवं मूल्य कथन दिनांक 25.01.2019 को 13.00 बजे खोली जायेगी।

| क्र.सं० | आपूर्ति का विवरण                                                            | मात्रा      | GST % | दर | रकम |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----|-----|
| 1       | मृदा में खुदाई कार्य                                                        | 6.75 घनमीटर |       |    |     |
| 2       | भराई कार्य                                                                  | 4.5 घनमीटर  |       |    |     |
| 3       | विद्युत मोटर पम्प (1HP) मोनोब्लॉक                                           | 01 Nos      |       |    |     |
| 4       | जी०आई० पाइप 20mm dia                                                        | 25 मी०      |       |    |     |
| 5       | पी०बी०सी० पाइप 20mm dia                                                     | 75 मी०      |       |    |     |
| 6       | इलेक्ट्रिक केबिल                                                            | 60 मी०      |       |    |     |
| 7       | सीमेंट कंक्रीट कार्य(1:5:10)                                                | 0.25 घनमी०  |       |    |     |
| 8       | मोटर पम्प की इन्स्टोलेशन एवं फिटिंग व अन्य कार्य( 20 mm socket,Solvent etc) |             |       |    |     |

नियम व शर्तें:

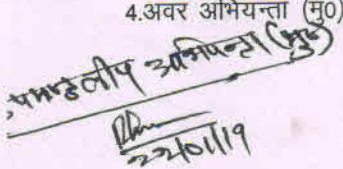
- कार्य कार्यादेश होने के 10 दिन के अन्दर पूर्ण करना होगा।
- मूल्य कथन दी गई दरें सभी तरह के कर सहित होनी चाहिए।
- दरों में किसी भी कटिंग/ओवर राइटिंग को उचित रूप में सत्यापित/ प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- मूल्य कथन मुहरबन्द लिफाफे में होनी चाहिए तथा मूल्य कथन का पत्रांक तथा खुलने की तारीख स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
- कार्य के उचित परीक्षण के उपरान्त ही भुगतान PSMS द्वारा आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में किया जाएगा।
- यदि किन्हीं अपिहार्य कारण से मूल्य कथन नियत तिथि पर नहीं खोला जाता है तो यह मूल्य कथन बिना कोई अग्रिम सूचना दिये अगले कार्य दिवस को खोले जायेंगे।
- अधोहस्ताक्षरकर्ता के बिना कोई कारण बताये किसी भी अथवा सभी मूल्य-कथन स्वीकृति अथवा अस्वीकृति करने का अधिकार है।

  
19/01/19

उपमण्डलीय अभियन्ता  
सिन्ध बेतवा उपमण्डल, झाँसी

प्रति:

- अधिशाली अभियन्ता, निचली यमुना मण्डल, आगरा।
- लेखा शाखा, निचली यमुना मण्डल, आगरा।
- नोटिस बोर्ड।
- अवर अभियन्ता (मु०) नियम आगरा को CWC Portal पर प्रकाशन करने हेतु।

  
22/01/19

  
22/1